

प्रश्न सं. [क. 735]

VSO 735 प्रश्न सं. (क) परिशिष्ट-1

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 735 (अंतरांकित) का प्रश्नांक " क " का संशोधित उत्तर								परिशिष्ट-1
जिले का नाम	संस्था का नाम	पदनाम	पद का प्रकार	कुल स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	कार्यरत कर्मचारियों के नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक
उज्जैन	बाल गृह	स्वीपर	स्थायीकर्म की वेतन श्रेणी	1	1	0	योगेश धोलपुरे	01.05.2006
		चौकीदार	शासन द्वारा निर्धारित दर	1	1	0	राजेन्द्रनाथ	29.06.1997 से 19.07.08 (सेवा समाप्त) 01.07.2009 से 13.05.2011 (सेवा समाप्त) 11.07.2011 से 20.09.2017 (सेवासमाप्त) 06.07.2019 को पुनः न्यायलय के आदेश से इस शर्त के साथ सेवा में लिया गया है कि भविष्य में इनके द्वारा कार्य में पुनः तालपरवाही नहीं बरती जावेगी
		सहायक रसोइया	आई.सी.पी.एस. के तहत भारत सरकार द्वारा पुनर्भरित मापदण्ड अनुसार	1	1	0	दीपक मालवीय	20.08.2014
		रसोइया	1	0	1
	बालिका गृह	आया	कलेक्टर दर	2	2	0	श्रीमती राधा बर्मन (केयर टेकर)	19.11.2016
		चौकीदार				श्रीमती कृष्णा बदावडिया	27.09.21
		रसोइया	कलेक्टर दर	1	1	0	श्रीमती संगीता गेहलोत	15.06.2015
		स्वच्छक	अंशकालीन	1	1	0	श्रीमती सुषमा सिर्रोते	01.03.2018
		माली	1	1	0	श्रीमती कलाबाई तोलाराम	11.10.2018

अनुराग जोशी
जिला विकास अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला उज्जैन

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला उज्जैन

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल


विधानसभा प्रश्न क्रमांक 735 (अतारांकित) का प्रश्नांक "ख" का सशोधित उत्तर


प्रश्न "ख" का उत्तर:-


परिशिष्ट-2

उज्जैन जिले में बालगृहों में कार्यरत कर्मचारियों की संस्थावार विनियमितीकरण जानकारी

क्र.	संस्था का नाम	कार्यरत कर्मचारी का नामनाम	पदनाम	विनियमितीकरण किया गया अथवा नहीं	नहीं किया गया तो कारण	मजदूरी भुगतान प्रतिमाह
1		श्री योगेश धोलपुरे	स्वीपर	हा	13658
2	बाल गृह उज्जैन	राजेन्द्रनाथ	चौकीदार	नहीं	म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-5-1/2013/1/3 दिनांक 07.10.2016 के द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को विनियमित करने के निर्देश दिए गए थे उक्त निर्देशों में जारी कंडिका क्रमांक 1.8 में केवल ऐसे दै.वे.भो. को विनियमित करने के निर्देश देते हुए " स्थायीकर्मि " की वेतन श्रेणी दिए जाने के निर्देश दिए गए थे जो 16 मई 2007 को कार्यरत थे व दिनांक 31 सितम्बर 2016 को भी कार्यरत है , केवल ऐसे दै.वे.भो. को विनियमितीकरण करने के निर्देश होने से विनियमितीकरण नहीं किया जा सका ।	500 /- रूपए प्रतिमाह म.प्र. शासन समाज कल्याण विभाग के जाप क्रमांक एफ -4 /6/26-2/93 दि 1994 के अनुसार 2228 /- म.प्र. शासन सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 530/2844/26-1 भोपाल दिनांक 01.05.2006 के अनुसार चौकीदार को 2228/- प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है ।
3		दीपक मालवीय	सहायक रसोइया	नहीं	6000/-
4		श्रीमती राधा	आया	नहीं	8700/-
5	बालिका गृह उज्जैन	श्रीमती कृष्णा बंदावडिया	चौकीदार	नहीं	8700/-
6		श्रीमती संगीता	रसोइया	नहीं	10935/-
7		श्रीमती सुषमा	स्वच्छक	नहीं	3000/-
8		श्रीमती कला	माली	नहीं	3000/-


अनुराग जोशी
सहायक संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश


अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला उज्जैन